363/1/0.0925, 365/1/0.1425 ग्राम पूतली का सीमाज्ञान करवाये जाने का आदेश प्रदान करें।

6. रिपोर्ट सरिस्ता होकर नियमानुसार रेस्पोटेन्ट की तलवी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये बाद तामील पत्रावली में शामिल किये गये।
7. वकील अपीलान्ट/प्रार्थी को सुना गया वकील अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट/प्रार्थी ने अपील में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु दिनांक 14/10/2017 को तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था, जिस पर शुल्क जमा कराये जाने के आदेश हो चुके थे। तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना सूचित किये केवल आफिस कानूनगो की टिप्पणी के आधार पर सीमाज्ञान का प्रार्थना–पत्र दिनांक 20/11/2017 को कानून के विपरीत जाकर खारिज फरमा दिया जो न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित आदेश दिनांक 20/11/2017 को निरस्त कर तहसीलदार कोटपूतली को प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराये जाने का आदेश फरमावें।
8. पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान कराने बाबत प्रार्थना–पत्र अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत होने की पुष्टि होती है। दिनांक 27/10/2017 को सीमाज्ञान शुल्क जमा के आदेश हुये है। इसके उपरान्त पुनः आफिस कानूनगो की रिपोर्ट 31/10/2017 के आधार पर तहसीलदार कोटपूतली ने 20/11/2017 को प्रार्थी/अपीलान्ट का सीमाज्ञान प्रार्थना–पत्र खारिज किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है।

   अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा प्रा.पत्र 131/2017 बाबत सीमाज्ञान में वाके ग्राम पूतली में पारित आदेश 20/11/2017 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार कोटपूतली को आदेश है कि प्रार्थी/अपीलान्ट की खातेदारी भूमि आराजी हाल ख.नं. 363/0.2775, 365/0.4275, 363/1/0.0925, 365/1/0.1425 वाके ग्राम पूतली का सीमाज्ञान नियमानुसार करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।
9. निर्णय आज दिनांक 6/6/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)